भारत INDIA पाँच FIVE एक ONE एक ONE ५० पैसे 50 PAISE

139

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र०   १६४ पुनरीक्षण

RN/5-4/R/1258

१- राजेन्द्रसिंह } पुत्रगण भगवानसिंह
२- सुरेन्द्रसिंह } निवासीगण खनियाधाना
तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी

आवेदकगण

विरुद्ध

क्रमांक
श्री ... 19.12.94
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत 19.12.94
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

इस्माइल खाँ पुत्र खच्चू खाँ निवासी खनियाधाना
तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी - अनावेदक

आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक २६।६१-६२ अपील में पारित आदेश दिनांक २६-३-६४ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० भू राजस्व संहिता १६५६.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(१) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं कार्यवाही अवैध, अनियमित एवं विचाराधिकारशून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(२) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि पर आवेदकगण का बहुत पुराना वास्तविक आधिपत्य है । आवेदकगण का आधिपत्य वर्ष ७७-७८ से राजस्व अभिलेखों में लगातार अंकित चला आ रहा है । अनावेदक द्वारा वर्ष १६८६ में अभिलेख सुधार हेतु दिया गया मूल आवेदन नितान्त अवधि बाधित था तथा चलने योग्य ही नहीं था

प्रकरण क्रमांक निग0 1258 / 1994 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24 – 8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री ए0के0 अग्रवाल उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्र.क्र. 26/91–92/अपील में पारित आदेश 29.03.94 के विरूद्ध संहिता की 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि अनावेदक ने अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे । 4/ प्रकरण का संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार खनियाधाना के समक्ष दिनांक 28.01.1989 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम खिरिया तहसील खनियाधाना में स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नं0 58 रकबा 2.32 एकड़ पर आवेदक का नाम त्रुटिवश खसरा में अंकित कर दिया गया है । अनावेदक ने प्रविष्टि सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया । आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय ने आवेदक को उनके समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया । नोटिस तामील के समय पाया गया कि आवेदक उक्त ग्राम में रहते ही नहीं । तत्पश्चात तहसील न्यायालय द्वारा गवाहों के	

साक्ष्य लिया जाकर कब्जे में प्रविष्टि को गलत मानकर इसमें सुधार किये जाने का आदेश दिया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पेश की गई । अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने तहसीलदार खनियाधाना के आदेश को यथावत रखा है, इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में आवेदक द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्र0क्र0 26/91–92/अपील पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 29.03.94 को विवादित भूमि पर कब्जा निराधार मानते हुये द्वितीय अपील स्वीकार करने योग्य न होने से अमान्य की गई । अपर आयुक्त ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

5/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदकगण का आधिपत्य वर्ष 77–78 से राजस्व अभिलेखों में लगातार अंकित चला आ रहा है । अनावेदक द्वारा वर्ष 1989 में अभिलेख सुधार हेतु दिया मूल आवेदन नितान्त अवधि बाधित था तथा चलने योग्य ही नहीं था । आवेदकगण को सुनवाई का अवसर तथा सूचना दिये बिना एकपक्षीय कार्यवाही एवं आदेश शुन्यवत था, जिसे मनमाने आधार लेकर स्थिर रखने में अपीलीय न्यायालयों ने भूल की है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक की ओर से दिये गये कथन एवं अन्य समस्त कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के स्थान पर न्यायालय के प्रवाचक द्वारा अंकित की गई । साक्ष्य के अवसर के अभाव में आवेदकगण के विपरीत तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालना न्याय प्रक्रिया के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश न्यायालयीन प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय

सिद्धांतों के विपरीत होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

6/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया जाकर, अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

7/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि जिन प्रक्रित्मक त्रुटियों की ओर आवेदकगण के अभिभाषक ने ध्यान आक्रषित किया है वे तहसीलदार के न्यायालय में वास्तव में ही हुई है । किन्तु मात्र यह प्रक्रियात्मक त्रुटियां आवेदकगण का भूमि पर वास्तविक कब्जा होना सिद्ध नहीं कर सकती । यह देखने योग्य है कि तहसीलदार ने आवेदकगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय तब लिया था जब राजेन्द्र सिंह के नाम जारी नोटिस की तामील के समय यह बात उजागर हुई कि राजेन्द्रसिंह गांव में निवास ही नहीं करता है । जो व्यक्ति गांव में निवासी ही नहीं करता है वह किसी अन्य भूमि पर कब्जा कैसे कर कसता है। यह बात गौर करने योग्य है। यह भी देखने योग्य है कि आवेदकगण ने प्रथम अपील के समय ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह माना जा सकता हो कि भूमि पर उनका कब्जा अनावेदक इस्माईल खां की रजामन्दी से था । रिकार्ड से जो आभास होता है वह मात्र इतना है कि पटवारी के स्तर पर आवेदकगण का कब्जा काबिजदार के रूप में लिख दिया गया, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी । आवेदकगण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्वत्व

तभी अर्जित हो सकता था, जबकि उनके कब्जे के प्रति दर्ज भूमिस्वामी की लिखित अथवा मौखिक सहमति होती । ऐसा कोई प्रमाण रिकार्ड पर नहीं आया है । इन परिस्थितियों में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यदि कोई प्रक्रियात्मक त्रुटियां की भी गई हो तो इससे आवेदकगण को कोई वैधानिक लाभ नहीं मिल सकता ।

8/ आवेदकगण के अभिभाषक ने अपनी बह समें यह बात उठाई थी कि उन्हें दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपने कब्जे के आधार सिद्ध करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । किन्तु यह तर्क इसलिये स्वीकार होने योग्य नहीं है क्योंकि यदि कोई वास्तविक आधार होते तो वे उसके बारे में प्रथम अपील में बताते और उसके संलग्न दस्तावेज आवेदकगण की ओर से आवश्य प्रस्तुत किये जाते है । कुल मिलाकर यह सिद्ध है कि आवेदकगण का विवादित भूमि पर कब्जा निराधार था, इसलिये अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा द्वितीय अपील अमान्य की गई है ।

9/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है और अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.94 स्थिर रखा जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य